



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक-16.02.2024

"ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप चोरी के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना रोहनिया, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु०अ०सं०-290/2021 धारा 411,413 भा०द०वि० से सम्बन्धित अभियुक्त राकेश सिंह पुत्र प्रेमशंकर सिंह निवासी-महिमापुर, थाना-कपसेठी, जनपद-वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक रोहनिया व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ASJ/FTC-14, जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अन्तर्गत धारा 411 व 413 भा०द०वि० में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 01-01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी